प्रेस विज्ञप्ति

07 जुलाई, 2016

रणदीप सिंह सुरजेवाला, इंचार्ज कम्युनिकेशंस, एआईसीसी; शक्ति सिंह गोहिल एवं आरपीएन सिंह, प्रवक्ता, एआईसीसी ने आज प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी किया :–

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के **'ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन'** एवं **'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'** जैसे दावे **'खोखले जुमले'** के सिवाए और कुछ नहीं। यह पिछले दो सालों में **लगातार हो रहे घोटालों–** 'ललित मोदीगेट घोटाला', 'व्यापम घोटाला', 'छत्तीसगढ़ पीडीएस घोटाला', 'गुजरात जीएसपीसी घोटाला', 'विजय माल्या–बैंक घोटाला', 'छत्तीसगढ़ प्रियदर्शनी बैंक घोटाला', 'पनामा पेपर्स घोटाला', 'फेयर एण्ड लवली ब्लैक मनी एमनेस्टी योजना', जैसे अनेकों घोटालों ने साफ कर दिया है।

सबसे ताजा उदाहरण– **मोदी सरकार** लगभग **45000 करोड़ रु. से अधिक के टेलीकॉम घोटाले** को छिपाने की कोशिश कर रही है। सीएजी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस घोटाले में सरकारी खजाने को सीधा नुकसान पहुंचा है। नतीजा स्पष्ट है कि **'पूंजिवादी नीति'** पर चलने वाली **'पूंजिपती सरकार' अपने 'मुट्टीभर पूंजिपती मित्रों'** की मदद कर रही है। चौंकाने वाले खुलासों ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार छः टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर सरकार की बकाया राशि की वसूली करने और जुर्माना ठोकने की बजाए, उन्हें बचाने के उपाय खोजने में जुटी है।

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि भारत के 125 करोड़ नागरिक मोदी सरकार को **'चुनिंदा पूंजिपती मित्रों की सूट बूट सरकार'** के रूप में देखते हैं। अगर देखा जाए तो यह रकम केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा या किसानों के कल्याण के लिए सूखा राहत पर खर्च की जाने वाली राशि से भी अधिक है।

साफ हो गया है कि मोदी सरकार छः अग्रणी टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें सरकारी खजाने की बकाया राशि अदा किए जाने से छलपूर्वक बचाने की कोशिश में है। 1999 में लागू की गई टेलीकॉम लाईसेंसिंग पॉलिसी (एनटीपी 1999) के तहत, भाजपा सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को बेल–आउट पैकेज दिया था। लाईसेंस शुल्क का निर्धारण 'ग्रॉस एडजस्टेड रेवेन्यू' के आधार पर किया जाना था। सेलुलर कंपनियों को लाईसेंस शुल्क के अलावा 'स्पेक्ट्रम यूसेज़ चार्जेस' (एसयूसी) अदा करने थे। यह राशि सेलुलर कंपनियों को होने वाली आय से जुड़ी थी। चूंकि यह आय 'कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया' का हिस्सा थी, इसलिए यह भारत के संविधान की धारा 266 के अंतर्गत सीएजी के अधिकारक्षेत्र में थी। कंपट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल (ड्यूटीज़, पॉवर्स एण्ड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1971 के तहत सीएजी के लिए यह अनिवार्य था कि वो यह सुनिश्चित करे कि भारत सरकार को राजस्व का पूरा एवं सही हिस्सा मिले।

सीएजी ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के निर्देश पर साल 2006–07 एवं 2009–10 में चार साल के लिए छः टेलीकॉम कंपनियों के ऑडिट की शुरुआत की। कैग यह जांच कर रहा था कि क्या टेलीकॉम कंपनियों ने आय की गणना कम करके दिखाई और अकाउंटिंग की एक समान विधियों का प्रयोग नहीं किया, जिससे बकाया लाईसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम यूसेज़ चार्ज (एसयूसी) का संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया।

टेलीकॉम कंपनियों ने निजी कंपनियों के अकाउंट ऑडिट करने का अधिकार सीएजी के द्वारा न किए जाने बारे सीएजी के अधिकारक्षेत्र को कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले अपने अधीन ले लिए और 17.04.2014 के आदेश के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों के दावे खारिज कर दिए और सीएजी को अकाउंट ऑडिट करने की अनुमति दे दी। सीएजी चारों सालों, यानि 2006–07 से 2009–10 तक का ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट 2016 में पेश की, जो 11.03.2016 को उपलब्ध हुई। सीएजी ने जिन छः टेलीकॉम कंपनियों का ऑडिट किया, वो हैं– भारती एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया, टाटा एवं एयरसेल।

सीएजी ने पाया कि इन छः कंपनियों ने इन चार सालों (2006–07 से 2009–10 तक) अपनी **आय को 46045.75 करोड़ रु. कम बताया था। सीएजी ने पाया कि** सरकार को इन कंपनियों से **12,488.93 करोड़ रु. का बकाया लेना था।** इसमें पेनल्टी एवं अन्य संबंधित कर शामिल नहीं थे। इसलिए इन चार सालों में कुल नुकसान ऊपर बताई गई राशि से कहीं अधिक का था। चूंकि व्यापार, कंज़्यूमर बेस एवं आय में काफी वृद्धि हुई है; इसलिए यदि उसी समीकरण पर साल **2010–11 से 2015–16** में सरकारी खजाने को हुए नुकसान की गणना की जाए, तो यह नुकसान **45000 करोड़ रु.** से अधिक का होगा। सरकारी खजाने को हुए इस नुकसान के खुलासे के बाद तत्काल कदम उठाने की जगह, मोदी सरकार ने टेलीकॉम मंत्रालय में एम्पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा इन आंकड़ों को पुर्नमूल्यांकन कराने का फैसला किया। इससे दो गंभीर बातें साफ हो जाती हैं :–

पहला, मोदी सरकार का यह स्पष्ट तरीका सालों तक बकाया पैसे की रिकवरी को जानबूझकर टालना है, अगर उसे पूरी तरह से माफ न भी कर सके।

दूसरा, इससे सीएजी द्वारा दिए गए बकाया पैसे के आंकलन को कम करने या खत्म करने की सरकार की दुर्भावना प्रदर्शित होती है।

देश की जनता की ओर से हम मोदी सरकार से चार प्रश्न पूछना चाहते हैं :–

1. क्या यह देश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं, वो भी तब, जब भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन सीएजी द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में बताए गए 'नोशनल नुकसान' को पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा बनाया था? अब 'वास्तविक नुकसान' की भरपाई करने के लिए सरकार की क्या योजना है?
2. क्या सरकार जनता के हित की रक्षक बनने की बजाए चुनिंदा कॉर्पोरेट इकाईयों के साथ मिलकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मदद तो नहीं कर रही? क्या यह वित्तीय घाटे को कम करने का नया तरीका है?
3. मोदी सरकार सीएजी जैसे संवैधानिक अधिकरणों की बात पर यकीन न करके सरकारी खजाने की बकाया भारी भरकम राशि की रिकवरी क्यों रोक रही है? इस विलंब से किसे लाभ मिलेगा? क्या यह 'सुशासन का नया मॉडल' है?
4. मोदी सरकार सरकारी खजाने की बकाया इतनी बड़ी राशि के मामले में रहस्यमयी चुप्पी क्यों साधे हुए है?